कार्यालय नगर विकास न्यास, भिवाडी

क्रमांकः 7450-51/13 दिनांकः 12/06/13

मै0 ग्रेनविज डवलपर्स प्रा0 लि0, मै0 कनोपी निरमान्स प्रा0 लि0
जरिये निदेशक श्री महेन्द्र अरोडा पुत्र स्व0
श्री हरिचन्द अरोडा पता मकान नं0 1212
सैक्टर नं0 15 फरीदाबाद हरि0

विषयः— मै0 ग्रेनविज डवलपर्स प्रा0 लि0 एवं मै0 कनोपी निरमान्स प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री महेन्द्र अरोडा पुत्र स्व0 श्री हरिचन्द अरोडा पता मकान नं0 1212 सैक्टर नं0 15 फरीदाबाद हरि0 द्वारा ग्राम छापर तह0 तिजारा के ख0न0 176, 162, 163, 164, 165, 485/152, 159, 157, 486/159, 178, 148/412, 161, 156, 150, 151, 158 कुल किता 16 रकबा 6.3375 है0 भूमि का आवासीय योजना का स्वीकृत ले—आउट प्लान जारी करने बाबत।

सन्दर्भः— आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र दिनांक 18.03.2013 के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि ले—आउट प्लान की 17वी बैठक के एजेण्डा सं0 05 के निर्णयानुसार योजना का ले—आउट प्लान, निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता हैः—

01. टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं एर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी ग्रेटर भिवाडी भवन विनियम 2011 के प्रावधानो की पालना विकासकर्त्ता द्वारा की जानी सुनिश्चित की जावेगी।
02. टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानो के तहत सम्पूर्ण परियोजना का ग्लोबल एफएआर 1.2 से अधिक देय नही होगा।
03. ले—आउट प्लान में प्रस्तावित आवासीय/व्यवसायिक भूखण्डो में भवन निर्माण कार्य किए जाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियमो के प्रावधानो के अनुरूप निर्माण स्वीकृत ली जावेगी, एवं स्वीकृत मानचित्रों एवं ग्रेटर भवन विनिमय 2011 के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेंशन) नहीं किया जायेगा।
04. आवासीय योजनाओं में आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत वितरण, सडके, पार्क, टलीफोन लाईन वर्षा जल संग्रहण सरचना, स्नानाघर तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्विकरण हेतु रीसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्त्ता की होगी।
05. सुविधा क्षेत्र के भूखण्डो का आवंटन न्यास द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
06. विकासकर्त्ता द्वारा वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इससे संबंधित प्रावधानो की पालना ग्रेटर भवन विनियम 2011 के अनुसार सुनिश्चित की जावे।
07. विकासकर्त्ता द्वारा तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में योजना के विकास कार्य करवाये जायगे।
08. विकासकर्त्ता द्वारा आमजन को सुचित करने हेतु योजना में उपयुक्त स्थल पर स्वीकृत ले—आउट प्लान के मानचित्र का बोर्ड लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
09. आन्तरिंक विकास सुनिश्चित किए जाने बाबत विकासकर्त्ता द्वारा प्रस्तावित 12.5 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त रहन किए गये

भूखण्डो को ले–आउट प्लान में दर्शाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूखण्डो का बेचान/आवंटन नही किया जावेगा।

10. योजना की क्रियाविन्ति के समय जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण सरक्षण अधिनियम 1986 एवं उक्त अधिनियमो के तहत बने नियमो आदि के सभी संबंधित प्रावधानो के की दृडता पूर्वक पालना की जावेगी।
11. ले–आउट प्लान जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ बकाया राशि का न्यास द्वारा मांग की जाने पर विकासकर्त्ता द्वारा उक्त राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
12. ले–आउट प्लान में गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
13. उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
14. विकासकर्ता द्वारा ले–आउट प्लान में दर्शित EWS/LIG भूखण्डो का बेचान नही किया जावेगा एवं इनका निष्पादन राज्य सरकार के प्रचलित परिपत्रों/आदेशो के अनुसार ही किया जावेगा।
15. 11 के.वी की लाईन को स्थानान्तरण किए जाने हेतु प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त 11 के.वी. लाईन को स्थानान्तरण किए जाने के पश्चात ही विकासकर्ता द्वारा लाईन के नीचे एवं 1.2 मी0 सूरक्षा कोरिडोर में प्रस्तावित भूखण्डो का बेचान किया जावेगा।
16. मौके के अनुसार आवेदित भूमि के मध्य रिहयाशी मकान स्थित है। अतः विकासकर्ता द्वारा इन रिहायशी मकानो को पूर्ण रूप से हटवाया जाकर योजना के आन्तरिक विकासकार्य पूर्ण किया जाना होगा।

ऊपर वर्णित शर्तो एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर ले–आउट प्लान को अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

वरि0 नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, भिवाडी

संलग्नः– ले–आउट प्लान ( )
क्रमांकः आयोजना/ 7450-51/13

दिनांकः 12/06/13

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भिवाड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12/6/13
वरि0 नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, भिवाडी